अनवान वसनासिंह के का.मु. v/s नेतीराम
मुकदमा नंबर 135 / 2024

प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज से कय की गई है। विवादित भूमि विप्रार्थी संख्या 1 की खरीद सुदा होने के कारण प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा विद्यमान नहीं है। जहॉ तक प्रार्थीगण के हको का प्रशन है उसका निर्धारण मूल वाद पत्र में साक्ष्य/सबूतों, गुणावगुण व कानूनी बिन्दुओं के आधार पर विचरण किया जायेगा एवं आवेदन पत्र तलबी के स्तर पर विचाराधीन है एवं विवादित भूमि खरीद सुदा भूमि होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 को विवादित भूमि का विकास करने/बेचान करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

लिहाजा ग्राम इन्द्राणा 274, 412, 866, 867, 903/1344 कुल रकबा 09.2350 व खसरा संख्या 1332, 1333, 1335 व 1336 कुल रकबा 06.9768 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 900 रकबा 01.6430 हैक्टेयर तथा ग्राम नाल के खसरा संख्या 320 रकबा 01.1761 हैक्टेयर एवं ग्राम मूठली के खसरा संख्या 619 रकबा 01.8049 हैक्टेयर भूमि में न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम स्थगन दिनांक 25.07.2024 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष विप्रार्थीगण की तलबी आइंदा 11.11.2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

11.11.2024

पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यवस्त है। इलत्वा होकर पत्रावली दिनांक 31-01-2025 को पेश हो।

29-01-25

प्रार्थीगण मय वकील के निवेदन पर पत्रावली आज तलब की गई।
प्रार्थीगण 1 मय वकील उपस्थित।
चूंकि मूल वाद जरिये डिक्री खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदन की कार्यवाही जारी रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा आवेदन की कार्यवाही [illegible] स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल [illegible] मूल वाद के संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.18 14:37:52 IST
Reason: SelfAttested